

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: - 4-582/नविवि/3/99

जयपुर, दिनांक :- 16/2/02

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान जयपुर ।

शुभ
95-2-02

सचिव,
नगर सुधार न्याय,
..... समस्त

विषय :- कृषि भूमि पर मास्टर प्लान एवं नगर नियोजन के स्वीकृत मानदण्डों के विपरीत नई-नई कोलोनियों के नियोजित करने के सम्बंध में ।

महोदय,

इस विभाग के सम्मोच्चक आदेश दिनांक 13.11.2001 के द्वारा जयपुर शहर सहित प्रदेश के अन्य शहरों/नगरों में गृह निर्माण सहाकारी समितियों/आतेदारों / अन्य व्यक्तियों के द्वारा कृषि भूमि पर मास्टर प्लान एवं नगर नियोजन के स्वीकृत मानदण्डों के विपरीत नई-नई कोलोनियों नियोजित कर भूखण्ड बेचे जाने के मामलों को रोकने/अंकुश लगाने के लिए निर्देश जारी किये गये थे । किन्तु इसकी पालना न्याय स्तर पर नहीं की जा रही है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस परिपत्र में वर्षों निर्देशों की गंभीरता से नहीं लिया गया है, जबकि राज्य सरकार उनकी अक्षरशः अनुपालना चाहती है । अतः पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि परिपत्र में वर्षों निर्देशों की अक्षरशः पालना की जाए एवं जन साभान्य को इसकी जानकारी कराने हेतु इसका भरसक प्रचार प्रसार भी किया जाये । राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प. 108/नविआ/3/2002 दिनांक 1.1.2002 व 15.2.2002 जारी कर निजी क्षेत्र में आवासीय परियोजनाओं/टाऊन्शिप विकसित करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये, जिनके अन्तर्गत नई कोलोनियों को विकसित किया जाना है । दिनांक 13.11.2001 के परिपत्र जारी होने से पूर्व कृषि भूमि पर निर्माण, मास्टर प्लान, सेक्टर प्लान की रोड की लोभा में नये हे वहाँ सड़क की चौड़ाई यथा तैय्य सरकार रखते हुए डीवलपिंग सार्जिस का पुनः निर्धारण कर पट्टा जारी कर दिया जाये ।

भवदीय,

16.2.02

(7)

भासन उप सचिव

2. निम्नलिखित सहायक, ना. मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजवणपुर
3. निम्नी सचिव, मा. राज्य मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजवणपुर
4. मातन सचिव, राज्य विभाग, राजस्थान, जयपुर.
5. निम्नी सचिव, मातन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजवणपुर
6. समस्त संभागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख
 है कि इस आदेश की प्रतिलिपि समस्त नगर निगम / परिषद / पारितोष
 को अपने तार से भिजवाने का प्रम करें ।

8. रक्षित प्रवाहनी

16.2.02
 उप मातन सचिव